Haryana Vidhan Sabha
Starred Question No. 14/15/92-03/02/2023
SAQ. 47, Listed for 17.03.2023

Construction work of Ayush University

***47 SH. SUBHASH SUDHA (Thanesar).** Will the Ayush Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the construction work of Ayush University was to be executed on the 100 acres of land in Fathepur village of Thanesar for which boundary wall was also constructed in the year 2018 and the budget of Rs. 100 crores was also allocated to the Ayush University, Kurukshetra by the Government during the budget session 2019-2020; and

b) if so, the reasons for not starting the construction work of building of Ayush University, Kurukshetra so far togetherwith the reasons for returning the budget of Rs. 100 crores to the Government by the Department alongwith the details thereof?

Reply:-

Anil Vij, Health and AYUSH Minister Haryana.

a) Shri Krishna AYUSH University is being established at 94 acre 5 kanal 1 marla land in village Fatupur, District Kurukshetra.

b) The matter to hire Project Management Consultant (PMC) is not finalized yet due to which the budget lapsed. However, the matter is under active consideration of govt. to decide whether the work is to be given to HSIIDC or other Govt. agencies (HSVP, Police Housing Corporation, PWD (B&R), Panchayti Raj etc.) having an engineering arm.

NOTE FOR PAD

In a meeting held on 04.03.2015 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister Haryana, it was decided to upgrade Shri Krishna Govt. Ayurvedic College, Kurukshetra to an AYUSH University. Later on, Hon'ble Chief Minister made an announcement (code no. 12604) on 04.06.2016 for setting up of a new University (Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra).

In this regard, an act with the title Shri Krishna AYUSH University Act, 2016 (Haryana Act 25 of 2017) was notified on 25 September, 2017. The Vice Chancellor and Registrar of Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra was appointed by the Chancellor (H.E. Governor of Haryana) on advice of Government as per clause 13 and clause 15 of the said Act. The University started its operations w.e.f. 1st March, 2018 in the existing campus of the Shri Krishna Govt. Ayurvedic College & Hospital, Kurukshetra.

To establish the said University, 94 acre 5 kanal 1 marla land was identified in village Fatupur, District Kurukshetra which has been transferred in the name of Registrar, Shri Krishna AYUSH University, Kuruskehtra and the lease deed for the said land has been executed for 33 years.

The Detailed Project Report amounting to Rs. 475.48/- Cr. was prepared at the level of Shri Krishna AYUSH University Kurukshetra and submitted to the Govt. for approval. The Standing Finance Committee-C (SFC-C) 'in-principle' approved the construction of the Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra and accorded Rs. 100/- Cr. to take up the 1st Phase of the project.

Shri Narendra Modi, Hon'ble Prime Minister of India laid down the Foundation Stone of Building of Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra on 12.02.2019.

Govt. granted the permission to Shri Krishna AYUSH University for floating the tender to engage the Project Management Consultant (PMC) for purpose of construction of building. Accordingly, online bids were invited. The University was in receipt of 04 nos. of bids. During the process of analyzing those bids, the University received a copy of Govt. Notification no. 1/18/2018-1HB-II dated 04.11.2020 vide which a committee of Secretaries for AYUSH Education and Research Work (COSAER) was constituted. In order to comply with the above said notification, the tendering process was put on hold.

In this regard, a meeting was held on 27.05.2021 under the Chairmanship of Hon'ble Health Minister Haryana and it was decided that the process carried out by the Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra be put up before the COSAER for their decision whether to carry on the tender process from the present stage onwards or to start the fresh hiring of PMC services from the initial stage.

The first meeting of COSAER was held under the Chairmanship of W/Chief Secretary to Govt. of Haryana on 19.07.2021 and the following decisions were taken:-

i. To begin the project de-novo.
ii. The Scope of work of the project shall be approved by the Committee of Secretaries i.e. COSAER. Accordingly, "The Power and Functions" mentioned in the notification dated 04.11.2020 of the COSAER be amended.
iii. The technical competence of the sub-committee of the COSAER i.e. Technical Evaluation Committee (TEC) shall be enhanced as by adding the technical experts from various fields viz, the Ministry of AYUSH, GoI, National Institute/State University; Registrar, Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra and Dr. Rajesh Bali O/o DGHS, Haryana.

Approval of Hon'ble CM Haryana was obtained and Hon'ble CM approved that process/policy being followed by COSMER (Committee of Secretaries for Medical Education and Research) and Medical Education Department be adopted in toto, by the Ayush Department for establishment of Shri Krishna AYUSH University.

The 2nd meeting of COSAER was held on 01.04.2022 regarding approval of Request for Proposal (RFP). The RFP document got legally vetted in view of decision taken by COSAER in the 2nd Meeting.

RFP was floated for appointment of CPSU as an Executing Agency for Planning, Designing, Construction, Furniture, Equipment's, IT (Networking) & Maintenance under EPC Contract Mode. Such CPSU must be an empanelled agency for setting up of new AIIMS and up-gradation of Government Medical Colleges under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna (PMSSY). Three CPSUs namely HSCC (India) Ltd., Noida (UP), Bridge and Roof Company (I) Ltd., Kolkatta and HITES (HLL Infra Tech Services Ltd.) Noida (UP) participated in the tender. In view of status of their empanelment, clarified by MoHFW, Government of India, only one firm out of the three, qualified in the technical evaluation. Being a single qualified bidder, whether the financial bid has to be opened or a retender done, was to be decided.

Now, the govt. has desired to utilise the capacity of other agencies which have a strong engineering arm like Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation (HSIIDC) or other Govt. agencies (HSVP, Police Housing Corporation, PWD (B&R), Panchayti Raj etc) having an engineering arm. Hon'ble Chief Minister Haryana approved that the work be given to HSIIDC on deposit basis. The matter is to be placed before the Committee of Secretaries for Ayush Education & Research (COSAER) in the context of power and functions of the COSAER, for approval of the Project Management Consultant/Implementing Agency i.e. HSIIDC for execution of the project i.e. construction of buildings of Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra on deposit basis.

A budget provision of approx. Rs. 200.00 crore is proposed in FY 2023-24 for Shri Krishna AYUSH University, Kurukshetra.

****

हरियाणा विधान सभा
तारांकित प्रश्न 14/15/92–03/02/2023
तारांकित 47, सूचीबद्ध 17.03.2023

आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य

***47 श्री सुभाष सुधा (थानेसर):** क्या आयुष मंत्री कृपया बताएंगे किः–

क) क्या यह तथ्य है कि थानेसर के गांव फतेहपुर में 100 एकड़ की भूमि पर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य होना था जिसके लिए वर्ष 2018 में चारदीवारी का निर्माण हुआ था तथा बजट सत्र 2019–2020 के दौरान सरकार द्वारा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित किया गया था; तथा

ख) यदि हां, तो आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र का निर्माण कार्य अब तक शुरु न करने के क्या कारण हैं तथा विभाग द्वारा 100 करोड़ रुपये का बजट सरकार को वापिस करने के क्या कारण हैं तथा उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तरः–

अनिल विज, आयुष मंत्री, हरियाणा

क) श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना ग्राम फतुपुर, जिला कुरुक्षेत्र में 94 एकड़ 5 कनाल 1 मरला भूमि में की जा रही है।

ख) प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट (पी0एम0सी0) चुनने का मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जिसके चलते बजट लैप्स हो गया। हालांकि, मामला यह तय करने के लिए कि क्या काम एच0एस0आई0आई0डी0सी0 या अन्य सरकारी एजेंसियों (एच0एस0वी0पी0, पुलिस आवास निगम, पी0डब्ल्यू0डी0 (बी0 एंड आर0), पंचायती राज आदि) को दिया जाना है जिनके पास इंजीनियरिंग शाखा है, सरकार के विचाराधीन है।

नोट फॉर पैड

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 04.03.2015 को हुई बैठक में श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, कुरुक्षेत्र को आयुष विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। बाद में, माननीय मुख्यमंत्री ने 04.06.2016 को एक नए विश्वविद्यालय (श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र) की स्थापना के लिए एक घोषणा (कोड संख्या 12604) की।

इस संबंध में, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2017 का हरियाणा अधिनियम 25) शीर्षक के साथ एक अधिनियम 25 सितंबर, 2017 को अधिसूचित किया गया था। उक्त अधिनियम के खंड 13 और खंड 15 के अनुसार सरकार की सलाह पर कुलाधिपति (हरियाणा के महामहिम राज्यपाल) द्वारा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के कुलपति और कुलसचिव की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय का संचालन श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल, कुरुक्षेत्र के मौजूदा परिसर में दिनांक 1 मार्च, 2018 से प्रारंभ हुआ।

उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ग्राम फतुपुर, जिला कुरूक्षेत्र में 94 एकड़ 5 कनाल 1 मरला भूमि चिन्हित की गई थी, जिसे कुलसचिव श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र के नाम पर हस्तान्तरित किया गया है तथा उक्त भूमि का पट्टा विलेख 33 वर्ष के लिए निष्पादित किया गया है।

श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के स्तर पर 475.48/– करोड़ रुपये की राशि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी और अनुमोदना हेतू सरकार को प्रस्तुत की गई। स्थायी वित्त समिति–सी (एस0एफ0सी0–सी) ने 'सैद्धांतिक रूप से' श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दी और रु0 100/– करोड़ परियोजना के पहले चरण के लिए प्रदान किए।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 12.02.2019 को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के भवन का शिलान्यास किया।

सरकार ने भवन निर्माण के उद्देश्य से परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) को नियुक्त करने के लिए श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय को निविदा जारी करने की अनुमति दी। तदनुसार, ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की गईं। विश्वविद्यालय को 04 बोलियां प्राप्त हुई थीं। उन बोलियों के विश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, विश्वविद्यालय ने सरकार की अधिसूचना सं. 1/18/2018–1एचबी–II दिनांक 04.11.2020 की एक प्रति प्राप्त की, जिसके द्वारा आयुष शिक्षा और अनुसंधान कार्य के लिए सचिवों की एक समिति (COSAER) गठित की गई थी। उक्त अधिसूचना का अनुपालन करने के लिए निविदा प्रक्रिया को रोक दिया गया था।

इस संबंध में, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में 27.05.2021 को एक बैठक आयोजित की गई और यह निर्णय लिया गया कि श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया को COSAER के निर्णय के लिए उनके समक्ष रखा जाए कि क्या निविदा प्रक्रिया वर्तमान चरण से आगे जारी रखनी है या पीएमसी सेवाओं की नए सिरे से भर्ती शुरू करने के लिए प्रारंभिक चरण से शुरुआत की जानी है।

COSAER की पहली बैठक मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 19.07.2021 को आयोजित की गई थी और निम्नलिखित निर्णय लिए गए:–

अ. परियोजना को फिर से शुरू करने के लिए।

आ. परियोजना के कार्यक्षेत्र को सचिवों की समिति अर्थात COSAER द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार, अधिसूचना दिनांक 04.11.2020 में उल्लिखित COSAER की "शक्ति और कार्य" में संशोधन किया जाए।

इ. COSAER की उप–समिति यानी तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) की तकनीकी क्षमता को विभिन्न क्षेत्रों जैसे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय संस्थान/राज्य विश्वविद्यालय; कुलसचिव, श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र और डॉ राजेश बाली, कार्यालय डीजीएचएस, हरियाणा से तकनीकी विशेषज्ञों को जोड़कर बढ़ाया जाएगा।

माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा का अनुमोदन प्राप्त किया गया था और माननीय मुख्य मंत्री ने मंजूरी दे दी थी कि आयुष विभाग द्वारा COSMER (चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के लिए सचिवों की समिति) और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया/नीति को पूर्ण रूप से श्रीकृष्णा आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अपनाया जाएगा।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर0एफ0पी0) के अनुमोदन के संबंध में COSAER की दूसरी बैठक 01.04.2022 को आयोजित की गई थी। दूसरी बैठक में COSAER द्वारा लिए गए निर्णय के मद्देनजर आर0एफ0पी0 दस्तावेज को कानूनी रूप से पुनरीक्षित किया गया।

ईपीसी अनुबंध मोड के तहत योजना, डिजाइनिंग, निर्माण, फर्नीचर, उपकरण, आईटी (नेटवर्किंग) और रखरखाव के लिए एक कार्यकारी एजेंसी के रूप में सी0पी0एस0यू0 की नियुक्ति के लिए आर0एफ0पी0 मंगाई गई थी। ऐसे सी0पी0एस0यू0 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत नए एम्स की स्थापना और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के लिए एक सूचीबद्ध एजेंसी होना चाहिए। तीन सी0पी0एस0यू0 अर्थात् एच0एस0सी0सी0 (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा (यूपी), ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड, कोलकाता और एच0आई0टी0ई0एस0 (एच0एल0एल0 इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड) नोएडा (यूपी) ने निविदा में भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उनके पैनल की स्पष्ट की गई स्थिति को देखते हुए, तीन में से केवल एक फर्म तकनीकी मूल्यांकन में योग्य है। एकल योग्य बोलीदाता होने के नाते, वित्तीय बोली खोली जानी है या पुनः निविदा की जानी है, यह तय किया जाना था।

अब, सरकार ने अन्य एजेंसियों की क्षमता का उपयोग करने की इच्छा जताई है, यह काम एच0एस0आई0आई0डी0सी0 या अन्य सरकारी एजेंसियों (एच0एस0वी0पी0, पुलिस आवास निगम, पी0डब्ल्यू0डी0 (बी0 एंड आर0), पंचायती राज आदि) को दिया जा सकता है जिनके पास मजबूत इंजीनियरिंग शाखा है। माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा सरकार ने यह कार्य डिपोजिट बेसिस पर एच0एस0आई0आई0डी0सी0 को देने की अनुमोदना प्रदान कर दी गई है। COSAER की शक्तियों एवं कार्यों के संदर्भ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट/इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी यानी HSIIDC द्वारा श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के भवन के निर्माण किये जाने के अनुमोदन के लिए मामला आयुष शिक्षा और अनुसंधान सचिवों की समिति (COSAER) के समक्ष रखा जाना है।

वित्त वर्ष 2023–24 में श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हेतु लगभग रू0 200.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

————